न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री अवि गर्ग, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
29/2019	प्रा.पत्र 251-A RTA	08.01.2019	05.02.2020

1. मोहम्मद अनवर पुत्र गुलाम हुसैन जाति तेली निवासी रतननगर तहसील व जिला चूरू
2. मो. सलीम पुत्र नबी बक्स जाति तेली निवासी रतननगर तहसील व जिला चूरू
3. मोहम्मद रफीक पुत्र गुलाम हुसैन जाति तेली निवासी रतननगर तहसील व जिला चूरू (राजस्थान)

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. मो. हुसैन पुत्र हनीफ जाति कसाई निवासी ढ़ाणी लालसिंहपुरा हाल रतननगर तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार महोदय, चूरू राज.

–मुख्य अप्रार्थीगण–

3. अब्दुल रहमान पुत्र नब्बी बक्स
4. कलसुम बानो पुत्री मिरजा इस्माईल
5. जाबिर पुत्र मिरजा इस्माईल
6. कोसर बानों पुत्री मिरजा इस्माईल
7. फारूक पुत्र मिरजा इस्माईल
8. रूकसार बानो पुत्री मिरजा इस्माईल
9. शहनाज बानो पुत्री मिरजा इस्माईल
10. हमीदा बानो पुत्री मिरजा इस्माईल
11. हसमत बानो पत्नी मिरजा इस्माईल

समस्तगण जाति तेली निवासीगण रतननगर तहसील व जिला चूरू

–गौण अप्रार्थीगण–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – 1. अधिवक्ता श्री अख्तर रसूल प्रार्थी
2. अधिवक्ता श्री विजय कस्वां अप्रार्थी सं. 1
3. अधिवक्ता श्री राजकुमार गौण अप्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण व गौण अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 11 एक काश्तकारी की कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 345, 346, 347 तादादी क्रमशः 2.6811, 0.0253 व 2.8328 कुल किता 3 कुल तादादी 5.5392 हैक्टेयर वाके रोही ढ़ाणी लालसिंह पुरा तहसील व जिला चूरू में स्थित चली आ रही है। जो प्रार्थीगण व गौण अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 11 के नाम से दर्ज चली आ रही है। यह कि मुताबिक जमाबंदी संवत् 2071 से 2074 के मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में मोहम्मद अनवर पुत्र गुलाम हुसैन जाति तेली निवासी रतननगर तहसील व जिला चूरू राज. मो सलीम पुत्र नबी बक्स जाति तेली निवासी रतननगर तहसील व जिला चूरू राज. मोहम्मद रफीक पुत्र गुलाम हुसैन जाति तेली निवासी रतननगर तहसील व जिला चूरू राज.

उपखण्ड अधिकारी चूरू

खातेदार के नाम व गौण अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 11 अंकित चली आ रही है। यह कि प्रार्थीगण व गौण अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 11 के खेत के उत्तर–पश्चिम कोने में खेत खसरा नम्बर 989/348 जो वर्तमान में है 1085/989 व 1083/988 क्रमशः तादादी 0.5691 हैक्टेयर व 0.2529 हैक्टेयर किता 2 कुल तादादी 0.8220 हैक्टेयर मुताबिक जमाबंदी संवत् 2071 से 2074 के मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में मोहम्मद पुत्र हनीफ जाति कसाई निवासी ढ़ाणी लालसिंहपुरा हाल रतननगर तहसील व जिला चूरू खातेदार के नाम अंकित चली आ रही है। यह कि प्रार्थीगण व गौण अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 11 अपने पूर्वजों के समय से ही उतर–पश्चिम कोने से खेत खसरा नम्बर 989/348 जो वर्तमान में है 1085/989 व 1083/988 क्रमशः तादादी 0.5691 हैक्टेयर व 0.2529 हैक्टेयर किता 2 कुल तादादी 0.8220 हैक्टेयर वादगत कृषि भूमि पर पूर्व में ही पुराने समय से खसरा नम्बर 1083/968 व 1085/989 के उतर पूर्व दिशा से रास्ता जाता है जो संलग्न नजरी नक्शा अनेक्चर ए के मुताबिक दर्शाया गया है। नक्शे में लाल रंग से अंकित है जिसको इस प्रार्थना पत्र का भाग समझा जावे। जिसके उतर–पश्चिम के कोने खेत की सीमा के पास से एक 20 फुट का रास्ता प्रार्थीगण के खेत में जाता है उक्त रास्ता से प्रार्थीगण व गौण अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 11 खातेदार पैदल, ऊंटगाड़ा, ट्रैक्टर, ट्रोली, जीप, पिक–अप एवं अन्य रास्ते से आवागमन करते चले आ रहे हैं। जो काश्त के समय इसी रास्ते से ट्रैक्टर ले जाकर अपने खेत की जुताई करवाते थे तथा प्रार्थीगण व गौण अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 11 अपने पशुधन भी इसी रास्ते से आवागमन करते चले आ रहे थे तथा काश्त के बाद अपना अनाज निकालकर इसी रास्ते ऊंटगाड़ा, ट्रैक्टर, ट्रोली, जीप, पिक–अप आदि से अपने घर आते थे। उक्त रास्ते से प्रार्थीगण व गौण अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 11 मौके पर उक्त रास्ता सदामत से कायम चला आ रहा है, जो वर्तमान में 20 फुट चौड़ा चला आ रहा है तथा कभी व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ था उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण व गौण अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 11 के खेत में आवागमन का कोई अन्य रास्ता मौजूद नहीं है। यहीं एक मात्र रास्ता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के खेत में जाने का ओर कोई रास्ता नहीं है एवं उक्त रास्ता प्रार्थीगण व गौण अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 11 के खेत से कटानी रास्ते को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता है उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण व गौण अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 11 के खेत में जाने के लिए अन्य केई रास्ता उपलब्ध नहीं है उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग प्रार्थीगण व गौण अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 11 व प्रार्थीगण व गौण अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 11 के पूर्वज सदामत से करते चले आ रहे हैं।

यह कि अप्रार्थी संख्या 1 बहुत ही लालची किस्म का व्यक्ति है । जो उक्त रास्ता को बंद करने पर आमदा है तथा अप्रार्थी प्रार्थीगण के आवागमन में व्यवधान पैदा करने लगे है। तथा उक्त रास्ते से आवागमन को लेकर अप्रार्थी आवागमन में अवरोध पैदा करने के लिए रास्ते से आवागमन करते समय बेवजह ही प्रार्थीगण को परेशान करते है तथा उक्त रास्ते से आवागमन करने से प्रार्थीगण एवं उसके वारिसान को टोकते है। उक्त रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है। उक्त रास्ता केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए मौजूद नहीं है, बल्कि उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है, वैकल्पिक कोई रास्ता नहीं है। उक्त रास्ता लघुतम रास्ता है तथा दिनांक 25.07.2019 को अप्रार्थी ने अनेक्चर ए में लाल रंग से अंकित रास्ते पर कंटीले तार लगाकर रास्ते को रोका है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी को दिनांक 25.07.2019 को कहा एवं कहलवाया कि वो तार हटा देवे तथा राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करवा लेवे लेकिन वो इन्कार दिनांक 25.07.2019 को इन्कार कर दिया। इसी कारण यह आवश्यक हो गया है कि प्रार्थीगण उक्त

रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम करवाने हेतु श्रीमानजी के समक्ष चाराजोई करे। यह कि अप्रार्थी संख्या 1 को कई बार कहा एवं कहलवाया कि वो अनेक्चर ए में लाल रंग से अंकित रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में अंकित कर रिकॉर्ड में दुरूस्त करा देवे और खसरा नम्बर 1083/988 व 1085/989 कृषि भूमि में से रास्ता कटवा देवें मगर अप्रार्थी टालमटोल करते चला आ रहा है तथा दिनांक 25.07.2019 को रिकॉर्ड दुरूस्ती करने से, रास्ता कायम करवाने से इन्कार कर दिया है इस कारण दिनांक 25.07.2019 को प्रार्थना पत्र हैतुक पैदा हुआ है। प्रार्थीगण वादगत कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार होने के कारण प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार प्राप्त है। यह कि वादगत रास्ता का तमाम राजस्व अभिलेख राजस्थान सरकार के लिए तहसीलदार महोदय के माध्यम से होनी है। इसलिए प्रार्थना पत्र में राज्य सरकार को पक्षकार अप्रार्थी संख्या 2 बनाया गया है। प्रार्थना पत्र में राजस्थान सरकार के हितों के प्रतिकूल असर डालने वाला कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। इसलिए धारा 80 जाब्ता दीवानी के नोटिस दिये जाने की आवश्यकता नहीं है। यह कि विवादित रास्ता ढ़ाणी लालसिंहपुरा तहसील व जिला चूरू में स्थित होने के कारण प्रार्थना पत्र श्रीमानजी के श्रवणाधिकार क्षेत्राधिकार का है तथा निर्धारित न्याय शुल्क पर प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद पेश किया जा रहा है। गौण अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 11 को इस प्रार्थना पत्र में इसलिए गौण अप्रार्थीगण बनाया गया है क्योंकि वह प्रार्थीगण के सह हिस्सेदार व काश्तकार है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 989/348 जो वर्तमान में खसरा नम्बर 1083/988 व 1085/898 नजरी नक्शा अनेक्चर ए में लाल रंग के अनुसार कटाणी रास्ता, काय किया जावे तथा तहसीलदार महोदय चूरू को आदेशित किया जावे कि तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती की जावे तथा राजस्व नक्शा तरमीम किया जावे।

प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई एवं धारा 251 ए के प्रावधानों के तहत तहसीलदार, चूरू से विस्तृत रास्ता प्रस्ताव मय मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री विजय कस्वां एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया व गौण अप्रार्थी सं. 3 से 11 की ओर से श्री राजकुमार एडवोकेट ने वकालतनामा व जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार, चूरू से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। पत्रावली अप्रार्थी सं. 1 के जवाब में लम्बित रही।

गौण अप्रार्थी सं. 3 से 11 की ओर से पेश जवाब में अंकित किया कि मद सं. 1 से 6 में तथ्य जिस प्रकार से लिंखे गये हैं स्वीकार है। विशेष कथन में अंकित किया कि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शा एनेक्जर ए में दिखाये गये लाल रंग से रास्ता से अप्रार्थीगण 3 ता 11 भी उपयोग उपभोग सदामत से करते आ रहे हैं। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 11 को कोई आपत्ति एतराज नहीं है।

अप्रार्थी सं. की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 (डी) व सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वकील प्रार्थी ने जवाब प्रार्थना

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

पत्र पेश किया जिसकी प्रति वकील अप्रार्थी सं. 1 को दी गई, पत्रावली उक्त प्रार्थना पत्र की बहस में नियत रही।

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 (डी) व धारा 151 सी.पी.सी. पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों पर मनन किया गया जिससे यह स्पष्ट होने पर कि मूल प्रार्थना पत्र धारा 251 ए सी.पी.सी. तहत पेश किया गया एक प्रार्थना पत्र है जो सम्मरी प्रोसीडिंग के तहत आता है जबकि आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधान केवल दावा पर लागू होते हैं। इसलिए इस प्रकरण में अप्रार्थी सं. 1 का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से आदेश 7 नियम 11 (डी) व धारा 151 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा जवाब मूल प्रार्थना पत्र व प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 7 सीपीसी व सपठित धारा 151 सीपीसी का मौका कमिश्नर नियुक्त करने बाबत पेश किया जिनकी प्रतियां वकील प्रार्थी को दी जाकर शामिल पत्रावली किये गये।

अप्रार्थी सं. 1 द्वारा पेश जवाब में अंकित किया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित तथ्य रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवाने के अभाव में अस्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित तथ्य स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित तथ्य गलत एवं मौके की वास्तविक स्थित के विपरित होने के कारण स्पष्ट रूप से इन्कार किया जाता है। प्रार्थीगण का कभी भी कृषि भूमि खसरा नं. 1085/989 एवं 1083/983 तादादी क्रमशः 0.5691 हैक्टर एवं 0.2529 हैक्टर कुल तादादी 0.82220 हैक्टर में रास्ता नहीं रहा है, न ही कभी आवागमन किया है। सही तथ्य यह है कि कृषि भूमि खसरा नं. 1085/989 के दक्षिणी तरफ में चिपते खसरा रोही देपालसर में से देपालसर की ढाणी लालसिंह पुरा के प्रचलित रास्ते को खसरा नं. 345, 346, 347 में आवागमन के लिये उपयोग में लेते रहे हैं वर्तमान में इस रास्ते को बन्द कर रखा है। खसरा नं. 322/269 जो फूलाराम व अर्जुन मेघवाल के चिपते ही फूलाराम जाट के खेत खसरा नं. 29/278 में से खसरा नं. 345, 346, 347 में आवागमन का रास्ता रहा है। फूलाराम के बाद मालाराम मेघवाल, हरिराम, प्रकाश आदि के खेत में से भी खसरा नं. 345, 346, 347 में आवागमन का रास्ता रहा है। ढाणी लालसिंहपुरा व रामसरा का रास्ता चालू है यह रास्ता हरिराम व प्रकाश ने बन्द कर रखा है। खसरा नं. 345 में जाने के लिये बन्द रास्तों को खुलवाये जाने की कार्यवाही प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार चूरू के यहां की जानी चाहिये थी वैकल्पिक रास्ते होते हुए भी प्रार्थीगण अपनी सुविधा अनुसार रास्ता कायम करवाना चाहते है जो धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरित होने के कारण यह प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 में वर्णित तथ्य गलत एवं मनगढत होने के कारण स्पष्ट रूप से अस्वीकार है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 11 ने आपस में साज व षडयंत्र रचकर प्रार्थी संख्या 1 की कृषि भूमि में गलत रूप से रास्ता कायम इस प्रार्थना के जरिये कायम करवाना चाहते है जो किसी भी सूरत में न्यायसंगत नहीं है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 11 रतननगर के निवासी है। रतननगर खसरा 345 346 347 की दक्षिणी दिशा में है ओर नजदीक है। प्रार्थीगण को अपने खेत में जाने के लिये तीन वैकल्पिक रास्ते होने के कारण उन्हें रास्ते की अत्यन्तिक आवश्यकता नहीं है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 11 भूमाफिया, लालची व आपराधिक किस्म के व्यक्ति है। जो अप्रार्थी संख्या 1 को अनावश्यक रूप से तंग व परेशान करते रहते है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 में वर्णित तथ्य झूठे एवं मनगढत अंकित किये है। प्रार्थीगण दिनांक 25.07.2019 को अप्रार्थी संख्या 1 से न तो मिले, न ही कहा और ना ही कहलवाया, प्रार्थीगण ने उक्त तथ्य बिल्कुल गलत एवं मनगढत अंकित किये है। प्रार्थना पत्र के तथ्यों से प्रार्थीगण को न तो हैतुक प्राप्त है और न ही प्रार्थना–पत्र पेश करने का अधिकार प्राप्त है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 में वर्णित तथ्य सी.पी.सी. के प्रावधानों के विपरित होने के

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

कारण अस्वीकार किया जाता हैं। अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना कानूनन आवश्यक हैं जो प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व नहीं दिया गया अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

यह कि प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष माननीय न्यायालय से प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। यह कि कृषि भूमि खसरा नं. 345, 346, 347 में आवागमन के लिये कुल तीन रास्ते मौजूद है। कस्बा रतननगर खसरा नं 345, 346, 347 के दक्षिणी दिशा में है। रतननगर से देपालसर जाने वाली सडक से खसरा नं. 516 व 517 रोही देपालसर के बीचों बीच कटानी रास्ता है जो खसरा न0 345 रोही ढाणी लालसिंह पुरा तक जाता है। दूसरा रास्ता इसी सड़क पर खसरा न0 293/270 रोही देपालसर की सीमा तक पक्की सड़क बनी हुई है जो खसरा न0 345 रोही ढाणी लालसिंहपुरा तक जाता है। तीसरा रास्ता राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 जो ढाणी लालसिंहपुरा मे से जाता है इसी राजमार्ग से पश्चिमी तरफ से कच्चा रास्ता खसरा नं0 345, 346, 347 में से जाता है ओर वर्तमान में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 11 आवागमन कर रहे है। खसरा नं0 345, 346, 347 के पश्चिमी तरफ रोही ग्राम देपालसर की लगती है जिसमें से दो रास्ते मौजूद है व पूर्वी तरफ से रास्ता जो ढाणी लालसिंहपुरा को जाता है। इस प्रकार मौके पर तीन रास्ते होने के बावजूद उपरोक्त खसरा न0 345, 346, 347 के लिये अपनी सुविधा के लिये चौथा रास्ता रतननगर देपालसर सडक से खसरा नं. कृषि भूमि खसरा न0 948/348 जो वर्तमान में 1085/989 व 1083/988 में से ओर स्थापित करवाना चाहते है जो किसी भी तरह से न्यायसंगत नहीं है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 11 ने सुनियोजित तरीके से साज व षडयन्त्र कर माननीय न्यायालय को मुगालते में रखने के आशय से केवल ढाणी लालसिंहपुरा का राजस्व रिकार्ड पेश किया है रोही देपालसर का राजस्व रिकार्ड पेश नहीं किया है। इस प्रार्थना पत्र के जरिये प्रार्थीगण खसरा नं0 345, 346, 347 की चारों दिशाओं में से रास्ता चाहते है ताकि इन खसरा नं0 की प्लॉटिंग की जाकर ज्यादा कीमत पर विक्रय किये जा सके। यह कि प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र कृषि भूमि खसरा न.0 989/348 जो वर्तमान में 1085/989 व 1083/988 में आवागमन का सदामत से कायम चला आ रहा है जो वर्तमान में 20 फुट चौड़ा चला आ रहा है तथा कभी व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी में से होना मानते हुये वा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थीगण को आवागमन से रोकने आदि तथ्य अंकित कर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के अनुसार उस अवस्था में जब कोई भूमिधारी जो वस्तुतः रास्ते के अधिकार या अन्य सुखाचार या अधिकार का उपयोग कर रहा हो अपने ऐसे उपभोग में बिना उसकी सहमति के कानून द्वारा निर्धारित प्रणाली से भिन्न तरीके से बाधित किया जाये तो तहसीलदार इस बाधित भूमिधारी के प्रार्थना पत्र पर तथा उक्त उपभोग एवं बाधा के विषय सरसरी जॉच करने के पश्चात् बाधा को हटाये जाने की अथवा बंद किये जाने की और प्रार्थी भूमिधारी को पुनः उक्त उपभोग करने की आज्ञा दे सकेगा चाहे इस प्रकार पुनः उपभोग किये जाने के खिलाफ तहसीलदार के समक्ष अन्य कोई हक स्थापित किया जावे। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) के अनुसार अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाईप लाईन बिछाने या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करनाः– जहॉ कोई अभिधारी अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत मे से होकर भूमिगत पाईपलाईन बिछाना चाहता है या कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या यथास्थिति उनकी जोत तक पहुचने के लिये अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता है और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी ऐसी सुविधा के लिये संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे। उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार जहां प्रार्थना–पत्र में कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है, के अनुसार माननीय न्यायालय को इस प्रार्थना पत्र की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः यह प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। यह कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में नया रास्ता देने का भी अनुतोष नहीं

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

चाहा गया है। अनुतोष में केवल नजरी नक्शा में कटानी रास्ता कायम करने का अनुतोष चाहा गया है जो अनुतोष न्यायालय द्वारा धारा 251 क में प्रचलित रास्ते को कटानी करने का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

अतः जबाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चे व हर्जे के खारिज फरमाया जावे।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र 39/7 व धारा 151 सीपीसी का जवाब न देकर सीधे बहस का निवेदन किया। मौका कमिश्नर नियुक्त किये जाने बाबत इस प्रार्थना पत्र पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील अप्रार्थी सं. 1 ने बहस में जाहिर किया कि तहसीलदार, चूरू द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में वास्तविक वस्तुस्थिति स्पष्ट नहीं की गई है जबकि प्रार्थी के खेत में आवागमन के लिए तीन रास्ते पूर्व से ही मौजूद चले आ रहे हैं। इसलिए मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर मौका रिपोर्ट मंगवाई जावे जिससे सारी स्थिति स्पष्ट हो जावेगी। वकील मूल प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि तहसीलदार, चूरू द्वारा तैयार कर प्रस्तुत की गई रिपोर्ट तैयार करते समय अप्रार्थी स्वयं मौके पर मौजूद रहा है तथा मौका रिपोर्ट पर उसके स्वयं के हस्ताक्षर अंकित हैं। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी द्वारा पेश किया प्रार्थना पत्र मात्र प्रकरण को देरीना की मन्शा से लाया गया है। इसलिए खारिज फरमाया जावे। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली पर पेश मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि मौका रिपोर्ट तैयार करते समय अप्रार्थी सं. 1 उपस्थित था उसकी उपस्थिति में ही मौका रिपोर्ट तैयार की गई थी। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी सं. 1 द्वारा मौका कमिश्नर कमिश्नर नियुक्त करने की मांग उचित प्रतीत नहीं होती। इसलिए यह प्रार्थना पत्र इस स्तर पर जबकि मौका रिपोर्ट पक्षकारों की उपस्थिति में तैयार की जाकर पेश की गई है, चलने योग्य नहीं है। अतः अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 7 सीपीसी व सपठित धारा 151 सीपीसी का खारिज किया जाता है।

मूल प्रार्थना पत्र पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 345, 346, 347 रोही ढाणी लालसिंहपुरा प्रार्थीगण व गौण अप्रार्थी सं. 3 से 11 की संयुक्त खातेदारी की भूमियां हैं जिनमें आवागमन का कोई रास्ता मौजूद नहीं है इसलिए हमने यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण को अपने खातेदारी के खेतों में आवागमन हेतु रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है तथा अन्य कोई विकल्प मौजूद नहीं हैं। प्रार्थीगण अपनी सुविधा के लिए रास्ते की मांग नहीं कर रहे हैं बल्कि उनको इस रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है। तहसीलदार, चूरू द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से भी उक्त तथ्यों की पुष्टि होती है। अप्रार्थी सं. 1 की जितनी कृषि भूमि रास्ते में जायेगी उसकी डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि वहन करने के लिए प्रार्थीगण तत्पर एवं तैयार हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर तहसीलदार, चूरू द्वारा प्रस्तावित नजरी नक्शा के मुताबिक अप्रार्थी सं. 1 के खेत ख.नं. 1085/989 रोही ढाणी लालसिंहपुरा में से रास्ता कायम किया जाकर रास्ते को खुलवाया जावे तथा नक्शा में कायम किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 ने अपनी बहस में जवाब कथनों का दोहराव करते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण के खेतों का कोई रास्ता ख.नं. 1085/989 में से होकर ना तो पहले

कभी रहा है और ना ही आज है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नं. 345 346 347 में आवागमन के लिये कुल तीन रास्ते मौजूद हैं। कस्बा रतननगर खसरा नं 345 346 347 के दक्षिणी दिशा में है। रतननगर से देपालसर जाने वाली सडक से खसरा नं. 516 व 517 रोही देपालसर के बीचों बीच कटानी रास्ता है जो खसरा न0 345 रोही ढाणी लालसिंह पुरा तक जाता है। दूसरा रास्ता इसी सड़क पर खसरा न0 293/270 रोही देपालसर की सीमा तक पक्की सड़क बनी हुई है जो खसरा न0 345 रोही ढाणी लालसिंहपुरा तक जाता है। तीसरा रास्ता राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 जो ढाणी लालसिंहपुरा मे से जाता है इसी राजमार्ग से पश्चिमी तरफ से कच्चा रास्ता खसरा नं0 345, 346, 347 में से जाता है और वर्तमान में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 11 आवागमन कर रहे है। खसरा नं0 345, 346, 347 के पश्चिमी तरफ रोही ग्राम देपालसर की लगती है जिसमें से दो रास्ते मौजूद है व पूर्वी तरफ से रास्ता जो ढाणी लालसिंहपुरा को जाता है। इस प्रकार मौके पर तीन रास्ते होने के बावजूद उपरोक्त खसरा न0 345, 346, 347 के लिये अपनी सुविधा के लिये चौथा रास्ता रतननगर देपालसर सडक से कृषि भूमि खसरा न0 948/348 जो वर्तमान में 1085/989 व 1083/988 में से और स्थापित करवाना चाहते हैं जो किसी भी तरह से न्यायसंगत नहीं है। मैंने अपने जवाब कथनों के समर्थन में पहले से मौजूद उक्त तीनों रास्तों के मौके के छाया चित्र पेश किये हैं जिनसे स्पष्ट प्रमाणित होता है कि प्रार्थीगण को इस रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता नहीं है, प्रार्थीगण केवल सुविधा के लिए रास्ते की मांग कर रहे हैं जो धारा 251 ए के प्रावधानों के मुताबिक नहीं दिया जा सकता। अतः प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली, जवाब प्रार्थना पत्र मय पेश दस्तावेजात एवं तहसीलदार, चूरू से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय रास्ता प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अवलोकन व चिन्तन मनन किया गया। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में अपने व गौण अप्रार्थी सं. 3 से 11 के खातेदारी खेत ख.नं. 345, 346, 347 रोही मौजा ढाणी लालसिंहपुरा में आवागमन हेतु अप्रार्थी सं. 1 के खातेदारी खेत ख.नं. 989/348 जो वर्तमान में 1085/989 व 1083/988 की पश्चिमी सींव के सहारे उत्तर से दक्षिण संलग्न नजरी नक्शा के मुताबिक सदामत से मौजूद चले आ रहे रास्ते को कटानी अंकित करने की मांग की है जिसकी उन्हें आत्यन्तिक आवश्यकता है एवं अन्य कोई विकल्प रास्ते बाबत नहीं होना बताया है। अप्रार्थी सं. 1 ने प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों से इन्कार करते हुए प्रार्थीगण के खेतों में जाने हेतु ख.नं. 989/348 जो वर्तमान में 1085/989 व 1083/988 में से प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता कभी नहीं होना बताया है तथा प्रार्थीगण के खेतों में जाने का सदामत का रास्ता ख.नं. 989/348 के पूर्वी तरफ चिपते रोही देपालसर में से होकर बताया है। साथ ही प्रार्थीगण एवं उसके सह खातेदारों को भूमाफिया होना अंकित करते हुए केवल अपनी भूमि को सड़क से जोड़कर कीमती बनाने की गलत मंशा से पेश किये गये प्रा0पत्र को खारिज करने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा एनेक्जर ए में ख.नं. 989/348 जो वर्तमान में 1085/989 व 1083/988 हैं, की पश्चिमी सीमा के पास उत्तर से दक्षिण ख.नं. 345 की उत्तर–पश्चिमी सींव तक प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता लाल स्याही से दर्शित किया गया है। वादगत कृषि भूमियों की जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 ग्राम ढाधी लालसिंहपुरा के खाता संख्या 6 ख.नं. 345, 346, 347 कुल तादादी 5.5392 हैक्टेयर में प्रार्थीगण एवं गौण अप्रार्थी सं. 3 से 11 खातेदार तथा खाता संख्या 76 ख.नं. 1083/988, 1085/989 कुल तादादी 0.8220 हैक्टेयर में अप्रार्थी सं. 1 खातेदार अंकित है। तहसीलदार, चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया जिसके बिन्दु सं. 1 में अंकित आया है कि कृषि भूमि ख.नं. 345 में जाने के लिए मौके पर रास्ता नहीं है। रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है। बिन्दु सं. 2 में अंकित है कि कृषि भूमि ख.नं. 345 में पहुंचने के लिए वैकल्पिक रास्ते का अभाव है। बिन्दु सं. 3 में अंकित है कि खसरा नं. 1085/989 रोही ढाणी लालसिंहपुरा में से सड़क तक पहुंचने की लम्बाई 316 तथा चौड़ाई 16.5 फुट बनती है जिसका नजरिया नक्शा संलग्न है। बिन्दु सं. 4 में अंकित आया कि ख.नं. 1085/989 के खातेदारों ने उक्त प्रस्तावित रास्ते पर असहमति जताते बताया कि ख.नं. 345 में जाने के लिए पहले से 1085/989 के दक्षिण साईड में चिपते खसरा रोही देपालसर में से देपालसर से ढाणी लालसिंहपुरा के प्रचलित रास्ते को उपयोग में लेते थे, जो कटाणी नहीं है तथा वर्तमान में बन्द कर रखा है। जिसको खुलवाकर 345 के खातेदारों को रास्ता दिलवाया जाना उचित है। संलग्न मौका रिपोर्ट पर पटवारी हल्का श्योपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक रतननगर एवं प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 के साथ अन्य दो लोगों की उपस्थिति के हस्ताक्षर अंकित हैं। उक्त मौका रिपोर्ट तहसीलदार चूरू की ओर से भू–अभिलेख निरीक्षक रतननगर द्वारा पटवारी हल्का एवं उभय पक्षकारों की मौजूदगी में तैयार की गई है। फर्द मौका के संलग्न नजरी नक्शा में प्रस्तावित रास्ता ख.नं. 1085/989 की पूर्वी सींव के पास से उत्तर से दक्षिण लाल स्याही से दर्शित किया गया है। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत छाया प्रति नक्शों एवं छाया चित्रों का भी अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नक्शों एवं छाया चित्रों के अवलोकन से प्रार्थीगण के खेतों में आने जाने के लिए किसी प्रकार का रास्ता पहले से मौजूद होना दर्शित नहीं होता है।

पत्रावली, पेश दस्तावेजात एवं तहसीलदार, चूरू द्वारा भिजवाई गई मौका रिपोर्ट मय रास्ता प्रस्ताव के अवलोकन से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया सही प्रतीत होता है। प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि तहसीलदार, चूरू द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अवलोकन से होती है। प्रार्थीगण द्वारा अपने खातेदारी खेतों तक पहुंचने के लिए चाहे गये रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यन्तिक आवश्यकता है। प्रार्थीगण के खेतों तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन (मार्ग) का अभाव है तथा प्रार्थीगण द्वारा सुविधा के लिए रास्ता नहीं चाहा गया है क्योंकि प्रार्थीगण के पास अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है। वादगत कृषि भूमियां प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमियां हैं। प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी कृषि भूमियों में आवागमन के लिए रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है एवं वैकल्पिक साधनों का अभाव है। साथ ही प्रस्तावित रास्ता केवल आवश्यकता के लिए चाहा गया है न कि सुविधा के लिए तथा प्रस्तावित रास्ता निकटतम व लघुतम है। यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि धारा 251 ए के तहत प्रावधान है कि दिया जाने वाला रास्ता 30 फुट से अनधिक चौड़ाई वाला होगा। तहसीलदार, चूरू द्वारा प्रस्तावित रास्ता 16.5 फुट चौड़ाई वाला दर्शित किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में रास्ते की चौड़ाई बाबत 20 फुट का उल्लेख किया गया है परन्तु वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में जाहिर किया है कि हमें केवल 16.5 फीट चौड़ाई वाला रास्ता ही चाहिए। इसलिए तहसीलदार, चूरू द्वारा प्रस्तावित 16.5 फुट चौड़ा रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है ताकि अप्रार्थी सं. 1 की तुलनात्मक रूप से कम भूमि रास्ते में जाये। प्रार्थीगण रास्ते में जाने वाली कृषि भूमि की डी.एल. सी. दर से दुगुनी राशि का भुगतान अप्रार्थी सं. 1 को करने हेतु तैयार हैं। इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 251 ए आर.टी.ए. के प्रावधानों में कवर होने से स्वीकार करने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचना के आलोक में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए. का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, चूरू को आदेश दिया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 345, 346, 347 तादादी क्रमशः 2.6811 हैक्टेयर बारानी, 0.0253 हैटेक्यर गै.मु. कुआ, 2.8328 हैक्टेयर कुल तादादी 5.5392 हैक्टेयर रोही ग्राम ढाणी लालसिंहपुरा में आवागमन हेतु सड़क से अप्रार्थी सं. 1 मो. हुसैन के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1085/989 तादादी 0.5691 हैक्टेयर रोही मौजा ढाणी लालसिंहपुरा में से होकर उक्त खसरा नम्बर की पूर्वी सींव के सहारे–सहारे 316 x 16.5 फीट की लम्बाई x चौड़ाई का गै0मु0 कटानी रास्ता राजस्व अभिलेख में कायम करने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थीगण को ग्राम ढाणी लालसिंहपुरा की सड़क पर डी.एल.सी. दर से गै0मु0 रास्ते में जाने वाली ख.नं. 1085/989 की कृषि भूमि की दुगुनी राशि अप्रार्थी सं. 1 को अदा कर प्राप्ति रसीद तहसीलदार, चूरू को देने का आदेश दिया जाता है। यदि अप्रार्थी सं. 1 प्रतिफल राशि लेने से इन्कार करता है तो नियमानुसार राजकोष में जमा करवाई जावे तथा तहसीलदार, चूरू को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थीगण से रास्ते की एवज राशि के भुगतान की सुनिश्चितता करते हुए उक्त कटानी रास्ते को राजस्व अभिलेख व नक्शा में अंकित कर इस न्यायालय को अवगत करावें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 05.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवि गर्ग)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू